न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0 156 आर 15/08–09

सिकन्दर शाह वगैरह

बनाम

मसीह एक्का एवं अन्य

आदेश

25/05/10

यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद सं0 372/07–08 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है।

निम्न न्यायालय ने अपने उक्त आदेश से ग्राम हीनु के खाता सं0 120, प्लाट सं0 563, रकबा 30½ कट्ठा में से 3 कट्ठा वकील साह के विरूद्ध दायर भूखण्ड के अन्तरण के लिए वाद, समय के विन्दु पर कालबाधित मानते हुए आवेदन अस्वीकृत किया गया एवं शेष 27½ (Twenty seven) कट्ठा भूमि के लिए दखल देहानी का आदेश पारित किया है।

अपीलार्थी का दावा प्लाट स0 563, रकबा 3 कट्ठा के लिये है। हालांकि आज अपीलार्थी बहस के दौरान अपस्थित नहीं थे परन्तु उनके द्वारा लिखित बहस दायर किया गया है।

अपीलार्थी का दावा है कि निम्न न्यायालय में वगैर सुने एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। इनका कहना है कि निम्न न्यायालय के वाद एवं आदेश दिनांक 04.09.2008 की कोई जानकारी नहीं थी। निम्न न्यायालय में गलत नाम से नोटिस नर्गत किया गया। इनका कहना है कि अपीलार्थी ग्राम हिनु के खाता सं0 120, प्लाट सं0 574, रकबा 3 कट्ठा भूमि हवलदार पण्डित से निबंधित डीड सं0 10385 दिनांक 18.10.1985 द्वारा खरीदा है। हवलदार पण्डित उक्त भूमि को 55–60 वर्ष पूर्व व्यवहार न्यायालय मे दायर title suit वाद में पारित decree के आधार पर प्राप्त किया था। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर पक्का मकान है। भूमि क्रय करने के पश्चात् इनके नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 351/85–86 से दाखिल खारिज होकर लगान अदा किया जा रहा है। साथही राँची म्यूनिसिपल कारपोरेशन में भी

होल्डिंग टैक्स अदा किया जा रहा है। यह भूमि खेती योग्य भूमि नहीं है। निम्न न्यायालय में वकील शाह के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। इनका तथा वकील शाह का मामला एक ही प्रकृति की है। वकील शाह के विरूद्ध कोई अपील दायर नही है अतः इनका कहना है कि इनके पक्ष में भी उसी आधार पर आदेश होना चाहिए। इनका दावा है कि 1969 के पूर्व से उक्त भूमि पर पक्की संरचना है। छो0 का0 अधि0 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा एस0 ए0 आर0 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2008 को निरस्त किया जाय।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि अपीलार्थी को यह वाद दायर करने का कोई हक नहीं है। यह भूमि खतियान में मसीहदास उराँव के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी खतियानी रैयत के वैद्य उत्तराधिकारी है। भूमि का अन्तरण छो0 का0 अधि0 के विरूद्ध किया गया है। इनका कहना है कि अपीलार्थी के विक्रेता ने यह भूमि हवलदार पण्डीत से प्राप्त किया गया है जिन्होनें भूमि के टाइटल सूट डीड से प्राप्त किया था जबकि अनुसूचित जनजाति की भूमि में टाइटल सूट collusive decree माना गया है अतः यह अन्तरण अवैध है। अपीलार्थी के पक्ष में दाखिल खारिज वाद सं0 351/85–86 में इन्हें कोई सूचना नहीं थी। इनके नाम से भी लगान रसीद निर्गत की जा रही है तथा 04–05 तक लगान रसीद निर्गत है। उस भूमि पर इनका हक हकियत है। अपीलार्थी ने यह भूमि छलप्रपंच से प्राप्त किया है अतः निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश सही है एवं यह अपीलवाद निरस्त करने योग्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि को अपीलार्थी ने वर्ष 1985 को हवलदार पण्डित से क्रय किया है हवलदार पण्डित द्वारा यह भूमि को 55–60 वर्ष टाईटल सूट में पारित Decree से प्राप्त बताई जा रही है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत यह टाईटल सूट के माध्यम से अन्तरण अवैध है। भूमि का अन्तरण बगैर सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से की गई है जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के विपरित है।

अपील अस्वीकृत।

लेखापित एवं संशोधित

05/10

अपर समाहर्ता,
राँची।

5/10

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

183

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 15:24:39 +05:30
Location: 192.168.2.175